

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा म0प्र0

Accredited Grade B By NAAC

Phone/Fax 07165220179, Email-principal\_gdcsausar@rediffmail.com, hegacsauchi@mp.gov.in

क्रमांक / 194 / स्था / 2022.

सौसर, दिनांक: 15.07.2022

// पुस्तकालय निविदा सत्र 2022-23 //

महाविद्यालय में सत्र 2022-23 हेतु शासन से अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकें प्रदाय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन के उपकम हिन्दी ग्रंथ अकादमी के द्वारा पुस्तकों की पूर्ति के पश्चात् इन वर्गों को आवश्यकतानुसार शेष पुस्तकों के क्रय हेतु तथा यु.जी.सी./जनभागीदारी मद एवं शासन द्वारा प्रदाय किए गए आवंटन/बजट से पुस्तकों के क्रय हेतु निविदा पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होने चाहिये। अपठनीय एवं अपूर्ण नाम भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा। भाव पत्र सील बंद लिफाफे में निम्न विवरण के साथ विभागीय वेबसाईट में प्रकाशन के 15 दिवस तक महाविद्यालय में स्वयं/कोरियर/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय में जमा करें। निर्धारित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। भाव पत्र नीचे दिए गये प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करें।

क्र.	प्रकाशन का विवरण	कमीशन	
		स्वयं के प्रकाशन में	अन्य प्रकाशन में
1	नवीन पाठ्यक्रम अनुसार वार्षिक परीक्षा प्रणाली/सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यपुस्तकें		
2	हिन्दी ग्रंथ अकादमी के प्रकाशन		
3	उपन्यास हिन्दी/अंग्रेजी		
4	सदर्भ ग्रंथ		
5	विदेशी प्रकाशन की पुस्तकें		
6	शासकीय प्रकाशन		
7	उपरोक्त के अलावा अन्य पुस्तकें जैसे सामान्य ज्ञान/कॅरियर/कम्प्युटर/प्रतियोगी पुस्तकें आदि		

भाव पत्र की शर्तें:-

- आपके भाव पत्र 30 जून 2023 तक वैध रहेंगे।
- भाव पत्र में वाणिज्यिक कर विभाग का प्रचलित टिन नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
- निर्धारित तिथि में प्राप्त भाव पत्र ही मान्य होंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होंगे। अन्य प्रकार से अंकित मूल्य अस्वीकार्य कर दिए जायेंगे।
- समय-सीमा तथा आदेशानुसार पुस्तकें प्रदाय नहीं करने पर आदेश अमान्य कर दिया जावेगा। अन्यथा ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।
- उपरोक्त दिये गये फार्मेट अनुसार ही भाव पत्र मान्य होंगे। अन्य फार्मेट में भेजे गए भाव पत्र मान्य नहीं होंगे।
- लिफाफे पर "पुस्तक प्रदाय निविदा 2022-23" अवश्य अंकित करें।
- पुस्तकें नवीन संस्करण की होनी चाहिए। एफ.ओ.आर. शासकीय महाविद्यालय सौसर होगा।
- पुस्तक विक्रेताओं को दी गई समय-सीमा पर आदेशानुसार पुस्तकों की पूर्ति करनी होगी।
- भाव पत्र के साथ बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित होना अनिवार्य है।
- पुस्तक के क्रय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेंगे। विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वोपरि मान्य होंगे।

*Beeraiah*

श्री ए बीरय्या

LIBRARIAN  
शासकीय महाविद्यालय सौसर  
Govt. College, Sausar  
Dist. Chhindwara (M.P.)

*Principals*

प्राचार्य,

Govt. College, Sausar  
Dist. Chhindwara (M.P.)

पृ क / / स्था / पुस्तकालय /  
प्रतिलिपि:-

सौसर दिनांक .....

- स्था./लेखा शाखा शासकीय महाविद्यालय सौसर।

*Sd/-*

डॉ. डी. के. इन्दोरकर

प्राचार्य,

PRINCIPAL  
शासकीय महाविद्यालय सौसर  
Govt. College, Sausar  
Dist. Chhindwara (M.P.)